न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या 320/15

23-07-15

मोहन पासवान वगैरह बनाम रोहित पासवान वगैरह — प्रथम पक्ष / द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

स्थानीय पुलिस सरिया थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसरित किया गया है, के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन को लेकर विवाद।

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों में आलोक में उभय पक्ष के विरूद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 12/08/2015 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा - नावाडीह थाना - सरिया जिला - गिरिडीह
खाता नं० 83 खेसरा नं० 651 रकबा 3.80 डी० चौहद्दी उ० नाला,
प० रास्ता द० चमन दुसाध, प० नारो दुसाध।

लेखांकित

ह०
23/07/15
अनु० पदा०
बगोदर - सरिया

ह०
23/07/15
अनु० पदा०
बगोदर - सरिया

12-08-15 उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
अभिलेख दिनांक 21-08-15 को रखें।

21-08-15 उभय पक्ष अनुपस्थित।
पिठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
अभिलेख दिनांक 02-09-15 को रखें।

अनु० दण्डा०
बजीदर-सलिया

02-09-15 उभय पक्ष अनुपस्थित।
पिठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
अभिलेख दिनांक 11-09-15 को रखें।

अनु० दण्डा०
बजीदर-सलिया

11-09-15 प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। पिठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
अभिलेख दिनांक 23-09-15 को रखें।

अनु० दण्डा०
बजीदर-सलिया

23-09-15 उभय पक्ष वकालतन हाजिर है।
उभय पक्षों की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया।
अभिलेख 30/10/15 को रखें।

ह० 23/09/15
अनु० दण्डा०

30/09/15 उभय पक्ष अनुपस्थित।
पिठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
अभिलेख 14/10/15 को रखें।

अनु० दण्डा०

14-10-15 अभिलेख उपस्थापित।
वाद की प्रक्रिया की कालावधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०
14.10.15
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बजीदर-सरैया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.09.25 13:19:08 +05:30
Location: 192.168.43.238